वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

802301 *Email:-registrarvksuarabihar@gmail.com*

कुलसचिव

registrar-vksu-bih@nic.in

निविदा सूचना

एतद् द्वारा योग्य एवं अनुभवी निविदा दाताओं से दिनांक 25.02.2023 तक कुलसचिव कार्यालय में अपराह्न 1:00 बजे तक कैंटीन के पंचवर्षीय संचालन के लिये निम्नांकित शर्त्तों के साथ सीलबंद निविदाएँ (लाह एवं मुहर सहित) एक शपथ-पत्र (प्रारूप संलग्न) के साथ आमंत्रित की जाती है।

निविदा शर्त्ते

(1) सफल निविदादाता को - (i) अपना बर्त्तन, इंधन एवं फर्नीचर प्रयोग करना होगा। (ii) अपना बिजली मीटर लगाना होगा, पानी कनेक्शन प्राप्त करना होगा और पानी एवं बिजली बिल का नियमित रूप से भुगतान कर भुगतान किए गए रसीद की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति कुलसचिव कार्यालय में निश्चित समय अवधि में जमा करना होगा। (iii) कैंटीन भवन का निर्धारित किराया प्रतिमाह विश्वविद्यालयकोष में जमा करना होगा। (iv) निर्धारित मासिक किराये का 2 वर्षीय शुल्क मासिक किराये के अतिरिक्त एक मुश्त अग्रिम के रूप में विश्वविद्यालय कोष में डी०डी०/बैंक ट्रांसफर द्वारा जमा करना होगा, जो 5 वर्ष/निविदा अवधि की समाप्ति के बाद क्षतिपूर्त्ति (यदि अपेक्षित हो) के समायोजन के बाद बिना सूद वापस किया जायेगा। (v) निर्धारित जलपान एवं भोजन निर्धारित दर एवं मात्रा के अनुसार देना होगा, इन दरों के निर्धारण एवं संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

(2) कैंटीन संचालन अवधि (पाँच वर्षीय) के स्थगन, संशोधन, समापन अथवा विस्तार का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

(3) कैंटीन संचालक और उसके कर्मियों को निविदा अवधि में कैंटीन भवन, संलग्न खुले स्थान अथवा अन्य सम्पत्ति की क्षति के लिये जिम्मेवार माना जायेगा और उससे क्षतिपूर्त्ति की वसूली की जायेगी अथवा इस आधार पर कभी भी उसकी सेवा स्थगित अथवा निरस्त की जायेगी।

(4) अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने अथवा निविदा शर्त्तों में संशोधन और निगोसिएशन का अधिकार होगा।

(5) निविदा के साथ रू० 5000/- का ड्राफ्ट (Non refundable) जो कुलसचिव, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा कोष मे जमा की जायेगी।

(6) निविदादाता द्वारा शपथ-पत्र देना होगा, जिसका प्रारूप संलग्न है, जो नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

(7) सीलबंद निविदाएँ (लाह एवं मुहर सहित) दिनांक 25.02.2023 को 3:00 बजे अपराह्न एतदर्थ गठित समिति द्वारा निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी।

(8) महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग बैठने की व्यवस्था करनी होगी।

(9) कैंटीन परिसर में CCTV कैमरा लगाना होगा जिससे विद्यार्थी अपने को सुरक्षित महसूस करें।

[P.T.O.]

(10) कैटीन में अनाधिकृत बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा।

(11) विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय, भोजपुर (आरा) होगा।

(12) निविदा की वैधता तीन माह की होगी।

(13) Technical Bid वाले लिफाफों में निम्नलिखित कागजात होना चाहिए।

- (i) एजेन्सी का निबंधन प्रमाण-पत्र (अद्यतन) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वार निर्गत होना चाहिए।
- (ii) G.S.T. निबंधन प्रमाण-पत्र।
- (iii) PAN और आधार कार्ड की छायाप्रति।
- (iv) कैंटीन सम्बन्धी कार्य के सम्पादन में तीन वर्षों का अनुभव।
- (v) अद्यतन Labour Licence की छायाप्रति (श्रम पंजीयन प्रमाण-पत्र)।
- (vi) विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की छायाप्रति।
- (vii) ISO/OHSAS निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

(14) Financial Bid वाले लिफाफों में निम्नलिखित कागजात होना चाहिए।

- (i) कैंटीन परिसर का किराया प्रतिमाह।
- (ii) कैंटीन द्वारा बेची जाने वाली सामग्रियों की कीमत।
- (iii) Diet Register की कॉपी (जिससे यह ज्ञात हो कि कैंटीन में बेची जा रही सामग्रियाँ किस वस्तु की कितनी मात्रा है।)

कुलसचिव
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

ज्ञापांक- 607/Estab/2023 दिनांक - 11/02/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्र।
2. सभी विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
3. सभी पदाधिकारी, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
4. कुलपति/प्रतिकुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव का कार्यालय, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

11.02.23

कुलसचिव

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

802301 Email:-registrarvksuarabihar@gmail.com

कुलसचिव registrar-vksu-bih@nic.in

प्रारूप शपथ - पत्र

1. मैं (निविदादाता का नाम, पिता का नाम, ग्राम/मुहल्ला/शहर, डाकघर, थाना, सब डिवीजन, जिला एवं राज्य) वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के कैंटीन के पाँच वर्षीय संचालन के लिये विश्वविद्यालय की निविदा दिनांक .... में निर्धारित सभी शर्त्तों का पालन करने के लिये तैयार हूँ।
2. उक्त के अतिरिक्त मैं विश्वविद्यालय द्वारा कैंटीन के संबंध में निर्धारित अन्य शर्त्तों का भी पालन करने के लिये तैयार हूँ।
3. मैं उक्त निविदा अवधि के स्थगन/निरस्तीकरण संबंधी आदेशें का यथावत पालन करने और विश्वविद्यालय के आदेश पर कभी भी 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय कैंटीन को खाली करने के लिये तैयार रहूँगा।
4. मैं और मेरे कर्मचारी कैंटीन भवन में कोई भी कानून एवं नैतिकता विरूद्ध कार्य नहीं करेंगे। ऐसा साबित होने की स्थिति में विश्वविद्यालय को तुरन्त मेरी निविदा निरस्त कर कैंटीन भवन खाली कराने का अधिकार प्राप्त होगा।
5. मैं अपना एवं अपने कर्मियों का सत्यापित फोटो पहचान-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं आचरण-पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के लिये तैयार हूँ।
6. मैं कैंटीन चलाने का अपना अधिकार किसी भी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं करूँगा। ऐसा साबित होने पर विश्वविद्यालय को कभी भी मेरी सेवा स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।
7. मैं अथवा मेरे कर्मचारी कैंटीन भवन अथवा संलग्न विश्वविद्यालय सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुँचायेंगे। ऐसा होने की स्थिति में मैं क्षतिपूर्त्ति के साथ कैंटीन भवन तुरन्त खाली करने के लिये तैयार हूँ।
8. विश्वविद्यालय को बिना कारण स्पष्ट किये भी मेरी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।
9. मुझे स्थानीय लोगों की जानकारी में .... वर्षों से कैंटीन/जलपान गृह चलाने का अनुभव प्राप्त है।
10. मैं अपनी ओर से बिना पानी एवं बिजली कनेक्शन, बिना फर्नीचर, बर्त्तन व ईंधन, स्थान व भवन शुल्क मद में मासिक राशि रू० .... विश्वविद्यालय को देने का प्रस्ताव देता हूँ, और अन्तिम रूप से इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय मानने के लिये भी तैयार हूँ।

शपथकर्त्ता